भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3838

25 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनजातीय क्षेत्रों में आयुर्वेदिक दवाएं

3838. श्री नायब सिंह सैनी:
श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय क्षेत्रों में आयुर्वेदिक दवाओं और उपचारों के अध्ययन और पहचान के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ख) क्या सरकार ने विश्व में आयुर्वेदिक दवाओं की वैश्विक मान्यता के लिए कोई कार्यकम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी जीवन रक्षक दवाओं के विज्ञापन के लिए सरकार की नीतियां क्या हैं?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): आयुष मंत्रालय ने एक स्वायत्त संगठन के रूप में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), नई दिल्ली की स्थापना की है। यह आयुर्वेदीय विज्ञान में वैज्ञानिक तर्ज पर अनुसंधान शुरू करने, समन्वय करने, निरुपण करने, विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत में एक शीर्ष निकाय है। गतिविधियों को पूरे भारत में स्थित इसके 30 संस्थानों/केंद्रों/इकाइयों के माध्यम से और विभिन्न विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और संस्थानों के साथ सहयोगात्मक अध्ययनों के माध्यम से भी किया जाता है।

जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए, सीसीआरएएस 14 राज्यों के चिन्हित एसटी बाहुल्य गांवों/क्षेत्रों **(संलग्नक)** में 14 सीसीआरएएस संस्थानों के माध्यम से जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के तहत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करते हुए "जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम (टीएचसीआरपी)" आयोजित कर रहा है। इसके अलावा, परिषद आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं का प्रलेखीकरण कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत की जाने वाली निम्नलिखित गतिविधियां हैं:

(i) जनजातीय लोगों की जीवन स्तर का अध्ययन करना
(ii) स्वास्थ्य के आंकड़ों से संबंधित जानकारी एकत्र करना
(iii) आहार संबंधी आदतों का अध्ययन
(iv) प्रचलित रोगों आदि की प्रकृति और आवृत्ति
(v) क्षेत्र में आम औषधीय पादपों के उपयोग का प्रलेखीकरण
(vi) उनके द्वार पर आकस्मिक चिकित्सा सहायता का प्रावधान

(vii) आईईसी सामग्री प्रदान करके बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए स्वच्छता की आदतों, व्यवहार परिवर्तन परामर्श (बीसीसी) के माध्यम से आहार अभ्यास सहित पथ्यापथ्य की आयुर्वेदिक अवधारणा के बारे में ज्ञान का प्रचार

(viii) जनसांख्यिकीय प्रोफाइल का प्रलेखीकरण और क्षेत्र में प्रचलित लोक औषधियों/पारंपरिक प्रथाओं पर जानकारी एकत्र करना।

(ix) स्वस्थ रहने का तरीका और स्वच्छ वातावरण अपनाकर रोग की रोकथाम

(ख) से (घ): मंत्रालय ने आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी योजना) को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम विकसित की है जिसके तहत आयुष मंत्रालय आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने; आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास और मान्यता को सुगम बनाने; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हितधारकों के बीच संपर्क और आयुष के बाजार विकास को बढ़ावा देने; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता और रुचि को बढ़ावा देने और समृद्ध करने के लिए विदेशों में आयुष शैक्षणिक पीठों की स्थापना और प्रशिक्षण कार्यशाला/संगोष्ठियों के माध्यम से शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुष विनिर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है।

आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक दवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) मंत्रालय ने विदेशों के साथ पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए 25 देश-दर-देश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ii) सहयोगात्मक अनुसंधान/शैक्षणिक सहयोग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ 32 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) विदेशों में आयुष शैक्षणिक पीठों की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iv) आयुष मंत्रालय ने 34 देशों में 38 आयुष सूचना प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की है।

(v) आयुष उत्पादों के विदेश में पंजीकरण, विदेशों में बाजार अध्ययन और अनुसंधान गतिविधियों को शुरू करने के लिए बाधाओं से निपटने के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के समर्थन से आयुष मंत्रालय के तहत, 04.01.2022 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8(4) के तहत "आयुष निर्यात संवर्धन परिषद" पंजीकृत किया गया है।

(vi) आयुष मंत्रालय आयुष अध्येतावृत्ति योजना के तहत विदेशी नागरिकों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

(vii) आयुर्वेद के माध्यम से कोविड-19 से निपटने के लिए नैदानिक अनुसंधान अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन (एलएसएच एंड टीएम), यूके और फ्रैंकफर्टर इनोवेशनजेंट्रम बायोटेक्नोलॉजी जीएमबीएच (एफआईजेड), फ्रैंकफर्ट जर्मनी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(viii) आयुष मंत्रालय ने लोगों को कोविड से बचाने और स्वस्थ रहने के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ 08 अन्य विदेशी भाषाओं में परामर्श जारी किया था।

(ix) आयुष मंत्रालय विदेशों में नियामकों को आयुष शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।

*****

संलग्नक

क्र.सं.	जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम (टीएचसीआरपी) में शामिल सीसीआरएएस अनुषंगी संस्थानों के नाम
1.	केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा
2.	एम.एस. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जयपुर, राजस्थान
3.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
4.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
5.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र
6.	केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु, कर्नाटक
7.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पटना, बिहार
8.	डॉ. अचंता लक्ष्मीपति क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु
9.	केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी, असम
10.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, गंगटोक, सिक्किम
11.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जम्मू, जम्मू और कश्मीर
12.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
13.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात
14.	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र, अगरतला, त्रिपुरा